प्राक्कथन

यह प्रतिवेदन मार्च 2019 को समाप्त वर्ष के लिए भारत के संविधान के अनुच्छेद 151 के तहत भारत के राष्ट्रपति को प्रस्तुत करने के लिए तैयार किया गया है।

इस प्रतिवेदन में वित्त मंत्रालय के अधीन राजस्व विभाग-सीमा शुल्क तथा वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के अधीन महानिदेशालय विदेश व्यापार की अनुपालन लेखापरीक्षा के महत्वपूर्ण परिणाम शामिल हैं।

सरकार ने भारतीय सीमा शुल्क ईडीआई सिस्टम (आईसीईएस) में महत्वपूर्ण निवेश किया जिसका परिणाम व्यापक, कागज रहित, पूर्ण रूप से स्वचालित सीमा शुल्क निकासी प्रणाली और इलेक्ट्रॉनिक डेटा के रूप में लेन-देन की जानकारी की उपलब्धता है। यह लेखापरीक्षा को कुछ स्थानों पर लेन-देन की नमूना जांच की अपेक्षा सौ फीसदी डेटा की समीक्षा का एक अच्छा अवसर प्रदान करता है और सभी सीमा शुल्क आयुक्तालयों में कर कानून लागू करने की सटीकता पर सरकार और संसद को आश्वासन प्रदान करता है । पूर्ण डेटा की उपलब्धता लेन-देन की नमूना जांच के लिए सीमा शुल्क परिसर में लेखापरीक्षा के प्रत्यक्ष निरीक्षण की आवश्यकता को भी कम करती है। तथापि, चूँकि विभाग अखिल भारतीय लेन-देन के लिए पूर्ण डेटा प्रदान करने में असमर्थ था, अत: 70 सीमा शुल्क आयुक्तालयों में से 48 सीमा शुल्क आयुक्तालयों में ही लेखापरीक्षा की गई थी।

इस प्रतिवेदन में उल्लखित मामले वे हैं, जो 2018-19 की अवधि के लिए नमूना लेखापरीक्षा के दौरान संज्ञान में आए और साथ ही जो पहले के वर्षों में संज्ञान में आए थे, लेकिन पिछले लेखापरीक्षा प्रतिवेदन में दर्शाये नहीं जा सके थे। 2018-19 के बाद की अवधि से संबंधित मामलों को भी, जहां भी आवश्यक था, शामिल किया गया है।

यह लेखापरीक्षा भारत के नियंत्रक और महालेखापरीक्षक द्वारा जारी लेखापरीक्षण मानकों के अनुरूप की गई है।